बिहार लोक सेवा आयोग,
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना

आवश्यक सूचना–सह–दिशा निर्देश

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के अंतर्गत प्रकाशित वि॰सं॰ 23/2020 (Associate Professor, Electronics and Communication Engg.) एवं 47/2020 (Professor, Electronics and Communication Engg.) तथा राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के अंतर्गत प्रकाशित वि॰सं॰ 31/2020 (HOD, Electronics Engg.) के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित विज्ञापनों में निहित शर्तों के आधार पर अर्हित/अनर्हित उम्मीदवारों की सूची (कारण सहित) आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की गयी है।

2. अनर्हित उम्मीदवारों को यदि अपनी अनर्हता पर कोई आपत्ति हो तो वे अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में साक्ष्य/ प्रमाण (जो प्रासंगिक हों) के साथ आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध विहित आपत्ति प्रारूप में आपत्ति अभ्यावेदन **सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक– 15.12.2021 तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

3. आपत्ति अभ्यावेदन के साथ–साथ वेबसाईट पर उपलब्ध विहित आपत्ति प्रारूप को साक्ष्य सहित भरकर संलग्न करना आवश्यक होगा।

4. अनर्हित उम्मीदवार प्रकाशित अनर्हता के कारणों के अवलोकनोपरांत अपनी अर्हता सम्बन्धित सभी साक्ष्य/प्रमाण तथा विहित प्रारूप में भरी गई सूचनाओं एवं अंकित दिशा–निर्देश के आलोक में सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

5. आपत्ति अभ्यावेदन के विचारोपरान्त उम्मीदवारों को अर्हित योग्य पाये जाने पर उन्हें औपबंधिक रूप से अर्हित किया जायेगा। तत्पश्चात् अर्हित उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

6. उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन नम्बर को ही अनुक्रमांक माना गया है। उम्मीदवार प्रकाशित सूची में अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर अर्हता/अनर्हता की स्थिति से अवगत हो सकते हैं।

7. अर्हित उम्मीदवारों के एकेडमिक अंक/शिक्षण कौशल के मूल्यांकन की गणना का प्रदर्शन आयोग के वेबसाईट पर कर दिया गया है, जिसे उम्मीदवार अपना User ID & Password, जो ऑनलाईन आवेदन फार्म भरते समय उम्मीदवारों को मिला था, डालकर देख सकते हैं। तत्पश्चात् यदि किसी अर्हित उम्मीदवारों को अपने एकेडमिक अंक/शिक्षण कौशल के मूल्यांकन की गणना पर किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित निर्धारित प्रारूप को भरकर साक्ष्य सहित **सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से दिनांक– 15.12.2021 तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना– 800001 को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

30.11.21

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना